मोदीनगर महायोजना–2031 प्रारूप पर जन–सामान्य से प्राप्त आपत्ति/सुझाव की सुनवाई दिनांक 16.01.2023 से 17.01.2023 सांय 04.00 बजे से तिथिवार विवरण

क्रम सं0	यूनिक आई0डी0	आपत्तिकर्ता/सुझावदाता का नाम	आपत्तिकर्ता/सुझावदाता का पता	सुनवाई की दिनांक	संक्षिप्त विवरण
1	M/T-1	श्री सुरेश कुमार	ग्राम प्रधान सीकरी कला,मौहम्मदपुर कदीम रोड, सीकरी कलॉ पोस्ट मोदीनगर, गाजियाबाद	16.01.2023	ग्रम सीकरी कला मोदीनगर की प्रस्तावित सीमा क्षेत्र में योगगुरू बाबा रामदेव जी द्वारा 15–16 बीघा भूमि में पंतजलि योगपीठ एवं वैलनेस सैन्टर खोला गया, जिसमें दूर–दूर से सैकड़ो की संख्या में मरीज आते है। इसको देखते हुए ग्राम सीकरी कला के सम्पूर्ण क्षेत्रफल जो कि काजमपुर गेट के सामने तक प्रभावी क्षेत्र माना जाये ताकि भविष्य में होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला आदि का निर्माण हो और बाहर से आने वाले मरीजो को इसका लाभ मिल सके। भविष्य में होने वाले विकास को देखते हुए सरकार को अत्याधिक राजस्व की भी प्राप्ति होगी। अतः इसे कामर्शियल एवं मिश्रित लैण्ड यूज में करने तथा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस–वे बनने एवं रैपिड मैटो चलने के कारण पूर्व में काजमपुर गेट के सामने एक बाईपास प्रस्तावित था, इस प्रस्तावित मार्ग पर पूर्व में ही स्कूल भवन आदि का निर्माण हो चुका है। बाईपास सीधा मुरादनगर से आ रहा है। ग्राम सीकरी कला से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको समाप्त किया जाये।
2	M/T-2	डा0 पवन सिंधल	भगवान गंज मण्डी, मोदीनगर	16.01.2023	ग्रम सीकरी कला मोदीनगर की प्रस्तावित सीमा क्षेत्र में योगगुरू बाबा रामदेव जी द्वारा ग्राम सीकरी कला में 15–16 बीघा भूमि में पंतजलि योगपीठ एवं वैलनेस सैन्टर खोला गया। जिसमें दूर–दूर से सैकड़ो की संख्या में मरीज आते है। इसको देखते हुए ग्राम सीकरी कला के सम्पूर्ण क्षेत्रफल जो कि काजमपुर गेट के सामने तक प्रभावी क्षेत्र माना जाये ताकि भविष्य में होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला आदि का निर्माण हो और बाहर से आने वाले मरीजो को इसका लाभ मिल सके। भविष्य में होने वाले विकास को देखते हुए जिससे सरकार को अत्याधिक राजस्व की भी प्राप्ति होगी। अतः इसे कामर्शियल एवं मिश्रित लैण्ड यूज में तथा पूर्व में काजमपुर गेट के सामने एक बाईपास प्रस्तावित था दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस–वे बनने एवं रैपिड मैटो चलने के कारण इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रस्तावित मार्ग पर पूर्व में ही स्कूल भवन आदि का निर्माण हो चुका है। बाईपास सीधा मुरादनगर से आ रहा है। ग्राम सीकरी कला से इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसको समाप्त किया जाये।
3	M/T-3	श्री विनोद कुमार पवार	आर–6/15ए, राजनगर,गाजियाबाद	16.01.2023	गाजियाबाद दुहाई के खसरा संख्या–643मि0 रकबई 0.8041 है0 तथा खसरा सं0–570 रकबई 0.4240 के आधे भाग का अभिलिखित स्वाामी है। उक्त भूमि आर आर टी एस परियोजना के Influence Zone में आती है। क्षेत्र के सुनियाजित विकास हेतु गाजियाबाद मोदीनगर मेरठ मार्ग से कम से कम 250 मी0 गहराई तक व्यवसायिक भू–उपयोग घोषित किया जाना है और हरित पटटी को निरस्त करना है
4	M/T-4	श्री सुनील चौधरी	बी–706, राज माईल स्टोन रेजीडेन्सी दिल्ली मेरठ रोड गाजियाबाद	16.01.2023	1. आर आर टी एस स्टेशनों के 500 मी0 की परिधि क्षेत्र में भू–उपयोग की श्रेणी कौन–कौन सी होगी। 2. प्रदर्शित Influence Zone की भूमि उपयोग में मिक्स लैण्ड यूज में क्या–क्या गतिविधियां अनुमन्य होगी। 3. दर्शाये गये आर आर टी एस एवं टी ओ डी क्षेत्र के अन्तर्गत भू–उपयोग जो परिवर्तनीय होगे उस पर क्या शुल्क देय होगें।

5	M/T-5	श्री मागें राम	ग्राम सीकरी कला तहसील मोदीनगर	16.01.2023	मास्टर प्लान 2021 में प्रस्तावित सड़क जो मोदीनगर बाईपास के रूप में निकलनी थी उसे मास्टर प्लान 2031 प्रारूप में पूर्ववत् प्रस्तावित किया गया है, अतः निम्न बिन्दुओं पर सुझाव है :– 1. जहां से सड़क प्रस्तावित है वर्तमान में वहां पर रिहायश हो गई है। सड़क बनने पर बने हुए मकानों को तोडना पड़ेगा। 2. गाजियाबाद से मेरठ एक्सप्रेस वे बनकर तैयार है जिससे मोदीनगर से गुजरने वाला अधिकतर ट्रैफिक उसी रोड का प्रयोग कर रहा है। 3. मोदी नगर बाईपास की आवश्यकता है तो उसे अबूपुर रोड से जलालाबाद रजवाहे से निकालना प्रस्तावित करे। 4. एक विकल्प कि मुरादनगर पाईप लाईन वाली रोड मुरादनगर रोड तक आती है उसे ही आगे नहर की पटरी से आगे मेरठ बाईपास तक बनाने का प्रस्ताव बनाये। 5. आर आर टी एस प्रोजेक्ट जो दिल्ली से मेरठ तक बन रहा है उसके बनने के बाद सड़क किनारे की जगह व्यवसायिक हो जायेगी जबकि वर्तमान में वहां हरित पटटी प्रस्तावित है जिसे खत्म कर सड़क किनारे की जमीन को मिश्रित भूमि में परिवर्तित किया जाये ताकि प्राधिकरण को विकास शुल्क से राजस्व की प्राप्ति हो।
6	M/T-6	श्री संदीप चौधरी	आर–2/230, राजनगर, गाजियाबाद	16.01.2023	दिनांक 19.05.2022 को सुझाव/आपत्ति के कम में MO-213 कोड संख्या पर सुनवाई हुई। याकूतपुर मावी गॉव के खसरा नम्बर 437/2, 419, 418, की भूमि 0.5502 है0 है, को कृषि से सामुदायिक सुविधाओ मे करने तथा मोदीनगर महायोजना में आर आर टी एस प्रभावित क्षेत्र को 3 किमी0 तक करने की कृपा करें।
7	M/T-7	श्री अनिल कुमार शरगणया	गतिशक्ति भवन, आई.एन.ए. नई दिल्ली	16.01.2023	एन सी आर टी सी द्वारा आर आर टी एस पर निम्न बिन्दुओ पर एक प्रेजेटेशन देने की मॉग की गयी है,1.दुहाई डिपो आर आर टी एस स्टेशन को टी ओ डी ऐरिया में सम्मिलित करने, 2. दुहाई आर आर टी एस स्टेशन एवं दुहाई डिपो तक के भाग टी ओ डी मिक्स लैण्ड यूज करने, 3.मोदीनगर नार्थ इन्फलुएन्स जोन को कम करने, 4.जी डी ए के ज्युरीडिक्सन मे आने वाले टी ओ डी जोन एवं नान टो ओ डी जोन की सीमा को मानचित्र मे दर्शाने, 5. टी ओ डी पालिसी के तहत जोनल डेवलपमेंट प्लान टी ओ डी मिक्स यूज मे दर्शाने हेतु, प्रजेटेशन/सुझाव/मिटिंग किये जाने का अनुरोध किया गया है।
8	M/T-8	श्री अमित सिंह रोहिला	एन. एच.–58, अबूपुर रोड, मुरादनगर–मोदीनगर गाजियाबाद।	16.01.2023	गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रेषित पत्रों का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें दिनांक 10.09.2022 को माननीया विधायक, सहिबाबाद क्षेत्र श्री सुनील कुमार शर्मा जी द्वारा निर्गत पत्र, दिनांक 07.09.2022 को माननीया ग्राम प्रधान, अबुपुर श्रीमती श्वेता जी निगर्त पत्र एवं दिनांक 31 अगस्त 2022 शामिल हैं। उपरोक्त प्रस्तुत तथ्यों का संज्ञान लेते हुए गांव–अबुपुर तहसील–मोदीनगर के खसरा नम्बर 564 एवं 565 पर स्थित पैतृक संस्था–ट्रस्ट फॉर एजूकेशन मैनकाईण्ड पीस एण्ड लर्निंग की उक्त भूमि, जिसको वर्ष 2009 में कृषक से अकृषक घोषित किया जा चुका है एवं जिस पर 2003 से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान–इंस्टीटयूट फॉर एजुकेशन एण्ड टेकनीकल साईसेंज संचालित है, को मास्टर प्लान–2031 के अन्तर्गत शैक्षिक प्रयोजन हेतु घोषित करने की कृपा करे।
9	M/T-9	श्री अमित गुप्ता	विला नं.–एल.–7, विला आनन्दम, दिल्ली मेरठ रोड गाजियाबाद।	16.01.2023	खसरा संख्या–309 ग्राम उखलारसी मुरादनगर आर आर टी एस परियोजना के Influence Zone के अन्तर्गत तथा आर आर टी एस स्टेशन से मिला हुआ खसरा है जो प्रर्दशित नक्शे में आवासीय प्रदर्शित है। इस खसरे का प्रयोजन आवासीय हेतु उपर्युक्त नहीं है। खसरा संख्या–309 का भू–उपयोग आवासीय से बदलकर व्यवसायिक किया जाना जनहित व भविष्य की सम्भावनाओं की दृष्टि से उचित होगा।
10	M/T-10	श्री विरेन्द्र पाल सिंह	बी–706, 21वीं माईल स्टोन रेजीडेन्सी दिल्ली मेरठ रोड गाजियाबाद	16.01.2023	1. खसरा संख्या–249 व 309 ग्राम उखलारसी मुरादनगर आर आर टी एस स्टेशन मुरादनगर से सटे हुये खसरे है जो नक्शे में आवासीय भू–उपयोग प्रदर्शित है जो गलत है। खसरा संख्या–249 व 309 का भू–उपयोग व्यवसायिक होना चाहिए। 2. Influence Zone के अन्तर्गत होने के कारण एवं सुनियोजित विकास करने के उदेश्य से गाजियाबाद मुरादनगर मोदीनगर मेरठ मार्ग (रोड) से कम से कम 250 मी0 गहराई तक व्यवसायिक भू–उपयोग घोषित किया जाना तथा इस मार्ग पर पड़ने वाले आर आर टी एस स्टेशन के 500 मीटर का क्षेत्रफल पूर्ण रूप से व्यवसायिक भू–उपयोग घोषित करना चाहिए।

11	M/T-11	श्री सुशील कुमार	ग्राम सैतली, मुरादनगर गाजियाबाद वर्तमान–मकान सं0–40,सैक्टर–13 वसुधरा गाजियाबाद	16.01.2023	प्राधिकरण के 2031 के मास्टर प्लान में आर आर टी एस के सभी स्टेशनो के चारो तरफ टी ओ डी जोन बनाये जा रहे है जिसमें दुहाई स्टेशन पर भी आपने टी ओ डी जोन दर्शाया गया था,लेकिन अब उसको हटा लिया गया है, जबकि आर आर टी एस के प्रस्तावना के अनुसार यहॉ आर आर टी एस की कॉमर्शियल गतिविधियॉ सम्पन्न होंगी फिर टी ओ डी जोन को क्यो हटाया गया है,दुहाई स्टेशन के 1.5 कि0मी0 के पूर्व प्रस्तावित टी ओ डी जोन में ग्राम सैंतली स्थित खसरा सं0–555,430,429,436,435,433 आदि हमारे खसरा नम्बर की भूमि आ रही है।
12	M/T-12	पी0सी0आर0 बिल्ड टैक प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नम्बर–सी–01 अभय खण्ड– 2, इन्दिरापुरूम गााजियाबाद	16.01.2023	प्रार्थी खसरा संख्या 390 (मि) ग्राम–सिकरी खुर्द,मोदीनगर क्षेत्रफल 900 स्कुयार मीटर कर सक्षम मालिक व काबिज है। मोदीनगर महायोजना 2031 प्रारूप में उक्त भूमि का भू उपयोग विल्ट अप दर्शाया गया हैं। जबकि गाजियाबाद–मोदीनगर मुख्य मार्ग पर कमर्शियल केवल एक स्थान पर ही प्रदर्शित है। मेरी उपरोक्त भूमि को बिल्ट अप क्षेत्र से कमर्शियल भू उपयोग में परिवर्तन करने का कष्ट करे प्रश्न क्षेत्र के बिलकुल निकट (100 मीटर) के अन्दर आर आर टी एस रेलवे स्टेशन भर आ रहा है। जिससे और भी कमर्शिल गतविधियां होने की संभावना है। अतः मोदीनगर–गाजियाबाद मुख्य मार्ग को सुगम बनाने के उद्देश्य से प्रश्नगत क्षेत्र को बिल्ट अप भू उपयोग से कमर्शियल भू उपयोग मे परिवर्तन किया जाना जनवित में उचित होगा।